An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांकः *MIS/06/2017/141/(Part-1)/....3618* **दिनांकः ...14./11/2019**

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक ।

सेवा में,

1. **सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,**
2. **सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,**

समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड।

विषयः **शिक्षकों द्वारा मोबाईल से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने एवं ई-विद्यावाहिनी के अन्य प्रयोग करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय पत्रांक-3529, दिनांक 05.11.2019 के द्वारा शिक्षकों को अपने Android Smartphone का उपयोग कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति ससमय दर्ज कराने एवं ई-विद्यावाहिनी हेतु अन्य आवश्यक सूचनायें/आंकड़े अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया था।

इस हेतु प्रत्येक माह डाटा अपलोड/डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पर होने वाले व्यय का वहन (प्रतिमाह 300/- रू० की राशि का उपयोग सिम कार्ड में 1.5 GB इंटरनेट प्लान हेतु) प्रति विद्यालय किसी एक शिक्षक द्वारा विद्यालय विकास अनुदान से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विशेष परिस्थिति में यदि विद्यालय के प्रधान शिक्षक अथवा सहायक प्रधान शिक्षक के पास Android Smartphone नहीं हो तो विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक जिनके पास Android Smartphone है, उस पर उपर्युक्त प्रावधान लागू होगा।

विशेष परिस्थिति यथा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक-3529 दिनांक 05.11.2019 अथवा विद्यालय का टैब खराब रहने पर या यदि किसी विद्यालय को अब तक टैब उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रावधान लागू होंगे परंतु किसी भी परिस्थिति में एक विद्यालय में दो रिचार्ज का प्रावधान लागू नहीं होगा।

उपरोक्त दी गयी स्वीकृति के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक विद्यालय में यह व्यवस्था तत्काल एवं अनिवार्य रूप से लागू हो।

राज्य कार्यालय द्वारा ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों की Monitoring जिलावार/प्रखण्डवार/विद्यालयवार की जा रही है। शत्-प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने, ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने वाले विद्यालय, प्रखण्ड एवं जिला को विशेष रूप से इस हेतु सम्मानित करने की भी योजना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आशय की सूचना आप अपने स्तर से सभी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से देते हुए इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
13/11/19

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः *MIS/06/2017/141/(Part-1)/...3618* **दिनांकः ...14.11.19...**

प्रतिलिपिः

1. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/11/19

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner